प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 388/1997

1 – हुन्नाद हुसैन पिता तैयब भट , 40 वर्ष,निवासी सदर बाजार, रायपुर

2 – केजूराम देवांगन पिता तुरंत देवांगन,62 वर्ष,निवासी गाँव मुशवाड़ी, पी एस सिमगा, तहसील तथा जिला रायपुर,

---आवेदनकर्ता

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य ,थाना प्रभारी के द्वारा, जिला रायपुर, (मध्य प्रदेश अब छत्तीसगढ़)

---उत्तरवादी

आवेदक संख्या 1 हेतु :--श्री अनुराग वर्मा, अधिवक्ता।

आवेदक संख्या 2 हेतु :--कोई नहीं

उत्तरवादी हेतु :--श्री शैलेंद्र शर्मा, पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री बिभू दत्त गुरु, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

11.07.2025

1. आवेदकों द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है ताकि आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जा सके और आवेदकों को अपराध अर्थात विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 5 और विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9 बी से आरोपमुक्त किया जा सके।

2. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, यह हैं कि आवेदक संख्या 1, फर्म मेसर्स तैय्यब भाई बदरुद्दीन का भागीदार है, जो विस्फोटक अधिनियम के तहत विस्फोटकों के कब्जे तथा विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति धारक है।आवेदक संख्या 2 उक्त फर्म में कार्य करता है।अनुज्ञप्ति की शर्तों और विस्फोटक अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत, फर्म विस्फोटकों को ले जाने, रखने और उपयोग करने काअनुज्ञप्ति रखने वाले व्यक्तियों को विस्फोटक बेच सकती है।इसमें कोई विवाद नहीं है कि दुर्ग पुलिस थाने के कोडवा गाँव के किशुमलाल भक्त के पास अनुज्ञप्ति संख्या 1927 वाला ऐसा ही अनुज्ञप्ति था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया था।अन्वेषण के

दौरान, पुलिस ने अनुलग्नक–ए के अनुसार फर्म के संबंधित रजिस्टर भी जब्त किए हैं, जिनमें दर्ज है कि किशुनलाल भक्त को 25 किलोग्राम विस्फोटक स्पेशल जिलेटिन और 25 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर बेचे गए थे। किशुनलाई भक्त के रजिस्टर में उक्त विस्फोटक की खरीद के बिल नंबर, वाउचर नंबर और पास नंबर के साथ संबंधित प्रविष्टियाँ हैं, जिसे पुलिस ने अनुलग्नक–बी के अनुसार जब्त कर लिया था।

3. गुप्त सूचना पर, सक्षम प्राधिकारी ने सह–अभियुक्त दीपक कुमार और रामखिलावन के गोदाम परिसर में छापा मारा और उनके कब्जे से विस्फोटक बरामद किया।पूछताछ करने पर, उक्त सह–अभियुक्तों ने बताया कि वे इसे हुन्नैद हुसैन की फर्म से लाए हैं।यह अभिकथित किया गया था कि उनके पास उक्त विस्फोटक रखने का अनुज्ञप्ति नहीं था।यह अभिकथित किया गया है कि वर्तमान आवेदक और उपरोक्त दो नामित व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 और विस्फोटक अधिनियम की धारा 9 के तहत दंडनीय अपराधों के दोषी थे।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख/आरोप–पत्र पर उपलब्ध सामग्री की सराहना और उचित विचार करने के बाद, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 5 और विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9 बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए आवेदकों के विरुद्ध दिनांक 05/04/1997 के आदेश के तहत आरोप निर्धारित किया गया । इसलिए, यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग वर्मा ने प्रस्तुत किया कि वे आवेदक संख्या 1 की ओर से उपस्थित हैं और प्रस्तुत किया कि जब अभियोजन पक्ष ने किशुनलाल से जब्त किए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया और उन्हें न्यायालय से छिपाने का प्रयास किया, तो इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि किशुनलाल का बयान जानबूझकर केस डायरी के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था। किसी भी स्थिति में, न्यायालय, किशुनलाल का बयान दर्ज करके आगे की अन्वेषण करने के लिए अन्वेषण अभिकरण को निर्देश देने में असमर्थ नहीं था।उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए था और आरोप निर्धारित करते समय किशनलाल से जब्त दस्तावेजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

6. आवेदक संख्या 2 की ओर से कोई प्रस्तुत नहीं हुआ।

7. राज्य/उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का समर्थन किया।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

9. वर्तमान पुनरीक्षण वर्ष 1997 में दायर किया गया था और न्यायालय ने दिनांक 2/5/1997 के आदेश द्वारा उत्तरवादी को नोटिस जारी किया और रायपुर के सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित एसटी क्रमांक 481/96 की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।तब से यह मामला विचाराधीन है, अर्थात पिछले ढाई दशकों से अधिक समय से विचाराधीन है।

10. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 5 और विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9 बी के प्रावधानों को उद्धृत करना सुसंगत होगा, जो इस प्रकार हैं:--

"विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 5

5. संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक बनाने या रखने के लिए दंड।

कोई भी व्यक्ति जो किसी विस्फोटक पदार्थ या विशेष श्रेणी के विस्फोटक पदार्थ को बनाता है या जानबूझकर अपने कब्जे में या अपने नियंत्रण में रखता है, ऐसी परिस्थितियों में जिससे यह उचित संदेह पैदा होता है कि वह इसे नहीं बना रहा है या यह उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण में किसी वैध उद्देश्य के लिए नहीं है, जब तक कि वह यह नहीं दिखा देता कि उसने इसे बनाया है या यह उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण में किसी वैध उद्देश्य के लिए था, उसे दंडित किया जाएगा,

(क) किसी विस्फोटक पदार्थ के मामले में, कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा;

(ख) किसी विशेष श्रेणी के विस्फोटक पदार्थ के मामले में, कठोर आजीवन कारावास से, या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9 ख:--

9 ख. कुछ अपराधों हेतु दंड।--

(1) जो कोई धारा 5 के अधीन बनाए गए नियमों या उक्त नियमों के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए--

(क) किसी विस्फोटक का विनिर्माण, आयात या निर्यात करेगा, उसे तीन वर्ष तक के कारावास या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा;

(ख) किसी विस्फोटक को अपने पास रखेगा, उसका उपयोग करेगा, बेचेगा या उसका परिवहन करेगा, उसे दो वर्ष तक के कारावास या तीन हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा; और

(ग) किसी अन्य मामले में, जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा।

(2) जो कोई धारा 6 के अधीन जारी की गई अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए किसी विस्फोटक का विनिर्माण, कब्जा या आयात करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा; और जलमार्ग द्वारा आयात की स्थिति में, जलयान का स्वामी और मास्टर, या वायुमार्ग द्वारा आयात की स्थिति में, उस वायुयान का स्वामी और मास्टर, जिसमें विस्फोटक आयात किया जाता है, युक्तियुक्त कारण के अभाव में, प्रत्येक जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) जो कोई,-- (क) धारा 6क के खंड (क) के उपबंधों के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, आयात, निर्यात या कब्जा रखेगा; या

(ख) उस धारा के खंड (ख) के उपबंधों के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विक्रय, परिदान या प्रेषण करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा; या

(ग) धारा 8 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी दुर्घटना की सूचना देने में असफल रहने पर, वह दण्डनीय होगा,--

(i) जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या

(ii) यदि दुर्घटना में मानव जीवन की हानि होती है, तो कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से।]"

11. अभिलेख में उपलब्ध समस्त सामग्री और विशेष रूप से विस्फोटकों से संबंधित अपराधों की गंभीरता पर विचार करने के बाद, मेरी राय में, निचली अदालत ने याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप उचित ढंग से निर्धारित किया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यह सर्वमान्य नियम है कि अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप निर्धारित करते समय कोई कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है और उच्च न्यायालय को अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप निर्धारित करने के चरण में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि विचारण की शुरुआत और प्रारंभिक चरण में अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की सच्चाई, सत्यता और प्रभाव का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन नहीं किया जाता है।यहाँ तक कि विचारण के उस चरण में न्यायाधीश के लिए भी यह अनिवार्य नहीं है कि वह विस्तार से विचार करे और संवेदनशील तराजू पर तौलकर देखे कि क्या तथ्य, यदि सिद्ध हो जाते हैं, तो अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत होंगे या नहीं।यदि कोई प्रबल संदेह है जिसके कारण न्यायालय को लगता है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है, तो न्यायालय यह नहीं कह सकता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

13. सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक मामलों में उच्च न्यायालय को उनके वैधानिक दायित्व की याद दिलाई है कि वे आरोप निर्धारण के प्रारंभिक चरण में केवल परिकल्पना, कल्पना और दूरगामी कारणों के आधार पर हस्तक्षेप न करें, जो विधि की दृष्टि में अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमे में बाधा डालने के समान हैं।बेईमान वादियों को विचारण की तकनीकीताओं की आड़ में अनावश्यक मुकदमेबाजी का सहारा लेकर वाद को बचाने और आपराधिक मामलों की परिणति को रोकने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

14. यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए सामग्री आरोपों के निर्धारण से भिन्न होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि उन्मोचन याचिका पर विचार करते समय, न्यायालय को दस्तावेजों की जाँच करने और दोषसिद्धि के विरुद्ध, न तो विचारण न्यायालय के रूप में और न ही अपीलीय न्यायालय के रूप में, उन्मोचन याचिका पर विचार करने हेतु लघु विचारण करने का अधिकार नहीं है।

15. उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, यह न्यायालय यह मानने के लिए इच्छुक है कि याचिकाकर्ता उन्मोचन के लिए मामला बनाने में विफल रहे।इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय इस वर्तमान पुनरीक्षण में कोई योग्यता नहीं पाता है।16. परिणामस्वरूप, दाण्डिक पुनरीक्षण खारिज किया जाता है।

सही/-
(बिभू दत्त गुरु)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हेड नोट :--

यह वैधानिक दायित्व है कि आरोप तय करने के प्रारंभिक चरण में केवल परिकल्पना, कल्पना और दूरगामी कारणों के आधार पर हस्तक्षेप न किया जाए, जो विधि अभियुक्तों के विरुद्ध विचारण में बाधा डालने के समान है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य*

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur